




वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

www.hpforest.nic.in

समाचार पत्रों की सुर्खियों में



Sr. No. / क्र. सं.	Name of Newspaper / समाचार पत्र का नाम	Subject of News / समाचार पत्र का विषय	Concerned Circle / Office / सम्बंधित वृत्त या कार्यालय
1.	पंजाब केसरी	हिमाचल में हरित आवरण को 28 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य।	वन मुख्यालय
2.	दिव्य हिमाचल	प्रदेश में 28 नहीं, अब 30 प्रतिशत होगा ग्रीन कवर।	यथोपरि
3.	हिमाचल दस्तक	जड़का के सहयोग से प्रदेश में बढ़ रहा हरित आवरण।	यथोपरि
4.	आपका फैसला	प्रदेश में बढ़ाया जा रहा हरित आवरण : सीएम	यथोपरि
5.	हिमाचल दस्तक	अग्धार वन में जल्द रोप जाएंगे 55 हजार पौधे।	हमीरपुर वृत्त
6.	अमर उजाला	अवैध डंपिंग से चमियाना में देवदार के पेड़ क्षतिग्रस्त।	शिमला वृत्त
7.	अमर उजाला	भालू के हमले में भेड़पालक घायल।	मंडी वृत्त
8.	दैनिक जागरण	जंगलों में फेंका जा रहा फोरलेन निर्माण से निकला मलबा।	शिमला वृत्त
9.	हिमाचल दस्तक	जाईका के सहयोग से हरित आवरण 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य।	सी. पी. डी. जाईका
10.	हिमाचल दस्तक	जाईका के सहयोग से हरित आवरण 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य।	यथोपरि
11.	आपका फैसला	भेड़-बकरियां चराने जंगल गया युवक भालू के हमले से घायल, मंडी अस्पताल में उपचाराधीन।	मंडी वृत्त
12.	The Tribune	Unauthorized liquor vend removed from forest land.	CF Solan
13.	The Tribune	To give fillip to eco-tourism, Himachal readies masterplan, identifies 400 sites.	Eco-Tourism Wing
14.	हिमाचल दस्तक	वन संपदा को बचाने के लिए प्रदेश सरकार अपनाए जीरो टॉलरेंस नीति।	वन मुख्यालय
15.	दैनिक जागरण	वन भूमि पर अवैध रूप से बनाया शराब का ठेका हटवाया।	सोलन वृत्त
16.	दैनिक भास्कर	बालीचौकी जंगल में भालू के हमले से युवक घायल।	मंडी वृत्त
17.	पंजाब केसरी	भेड़ें चराने जंगल गए युवक पर भालू ने किया हमला।	यथोपरि
18.	हिमाचल दस्तक	भेड़-बकरियां चराने गए युवक पर भालू ने किया हमला।	यथोपरि
19.	The Indian Express	To enhance, green cover, Himachal joins hands with Japan firm.	CPD Jica
20.	The Tribune	Panel formed to look into illegal tree felling charges.	Forest HQ / CCF Shimla
21.	The Hindustan Times	HC Forms Panel TO Probe 'ILLEGAL FELLING' IN MANDI NACHAN	-do-
22.	दिव्य हिमाचल	मंडी में अवैध कटान की जांच करेगी कमेटी।	मंडी वृत्त

23.	पंजाब केसरी	वन विभाग में 8 आई. एफ. एस. अधिकारियों के तबादले।	वन मुख्यालय
24.	दिव्य हिमाचल	खतरनाक पेड़ों को किया जा रहा चिन्हित।	वन मुख्यालय / शिमला वृत्त
25.	The Times of India	Tree felling in Nachan : HC committee to verify claims of respondents.	Mandi Circle

हिमाचल में हरित आवरण को 28 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य

■ जापान इंटरनेशनल कापरेशन एजेंसी का लिया जा रहा सहयोग

शिमला, 29 जून (राकटा): राज्य सरकार ने हरित आवरण को वर्ष 2023 के अंत तक 28 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार जापान इंटरनेशनल कापरेशन एजेंसी (जायका) के सहयोग से राज्य के मनोहारी पर्यटकों को और अधिक विकसित करने पर कार्य कर रही है। राज्य के 7 जिलों में कार्यान्वित जायका द्वारा वित्त पोषित वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाने में सहायक रही हैं। उन्नत तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए पिछले 2 वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित पौधारोपण किया गया है।

इसके अलावा परियोजना नर्सरी विकसित करने और रोपण स्टॉक की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी बल देता है, जिसका लक्ष्य सामुदायिक और वानिकी के उपयोग के लिए विभिन्न लाभकारी प्रजातियों

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं पर कार्य


जायका वर्ष 1991 से भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं पर कार्य रही है। जायका ने प्रदेश में भू-आवरण को बढ़ाकर और वन क्षेत्रों को संरक्षित करके सतत विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। जायका परियोजना राज्य में जापान की सर्वोत्तम वानिकी प्रणाली को लागू करने, वन विभागों के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को पेश करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

के 60 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना है। इसके साथ ही 7 जिलों में 460 ग्राम वन विकास समितियां और 900 से अधिक स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं।

यह परियोजना वनों पर निर्भर समुदायों और फ्रील्ड स्टाफ के कौशल संवर्धन और क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता देती है। आजीविका गतिविधियों और वन पुनर्जनन में प्रशिक्षित 15 हजार से अधिक

हरित राज्य बनाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य : सी.एन.

मुख्यमंत्री टाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को हरित राज्य बनाना वर्तमान राज्य सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। प्रदेश सरकार हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जायका के साथ सहयोग निःसंदेह बड़े बदलावों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भी हिमाचल की पहचान विद्यमान में नैसर्गिक सौंदर्य के लिए अद्वितीय बनी रहे।



व्यक्तियों के साथ यह परियोजना जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करती है।

प्रदेश में 28 नहीं, अब 30% होगा ग्रीन कवर

राकेश शर्मा — शिमला

राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को दो फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य अब 30 फीसदी रहेगा। जबकि इससे पहले इस लक्ष्य को 28 फीसदी तय किया गया था। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (जाइका) के सहयोग से राज्य के मनोहारी परिदृश्यों को और अधिक विकसित करने पर कार्य कर रही है। राज्य के सात जिलों में कार्यान्वित जायका से वित्त पोषित वानिकी

जाइका की मदद से होगा काम

जाइका वर्ष 1991 से भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं पर कार्य रहा है। जायका ने प्रदेश में भू-आवरण को बढ़ाकर और वन क्षेत्रों को संरक्षित करके सतत विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। जाइका परियोजना राज्य में जापान की सर्वोत्तम वानिकी प्रणाली को लागू करने, वन विभागों के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को पेश करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हिमाचल को हरित राज्य बनाना वर्तमान राज्य सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। प्रदेश सरकार हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। जायका के साथ सहयोग निःसंदेह बड़े बदलावों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश की पहचान विश्वभर में नैसर्गिक सौंदर्य के लिए अद्वितीय बनी रहे।

■ राज्य सरकार ने तय किया दो फीसदी की बढ़ोतरी का लक्ष्य



और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाने में सहायक रही हैं। उन्नत तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए पिछले दो वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित पौधारोपण किया है। इसके अलावा परियोजना नर्सरी विकसित करने और रोपण स्टॉक की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल देती है। इसका लक्ष्य सामुदायिक और वानिकी के उपयोग के लिए विभिन्न लाभकारी प्रजातियों के 60 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना है। संयुक्त वन प्रबंधन पहल को मजबूत करते हुए और सामूहिक प्रयास का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सात जिलों में 460 ग्राम वन विकास समितियां और 900 से अधिक स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना वनों पर निर्भर समुदायों और फोल्ड-स्टाफ के कौशल संवर्द्धन और क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता देती है। आजीविका गतिविधियों और वन पुनर्जनन में प्रशिक्षित 15 हजार से अधिक व्यक्तियों के साथ यह परियोजना जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करती है। हिमाचल प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में वनों का बहुत महत्त्व है। स्थानीय लोग आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर करते हैं। (एचडीएम)


जाइका के सहयोग से प्रदेश में बढ़ रहा हरित आवरण

2 वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किया पौधरोपण

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

वनों से आच्छादित देवभूमि हिमाचल के पहाड़ जहां एक ओर प्रदेश के सौंदर्य को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। राज्य के इसी सौंदर्य को संजोए रखने और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हरित आवरण को वर्ष 2023 तक 28 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखचंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जापान इंटरनेशनल



कॉर्पोरेशन एजेंसी (जायका) के सहयोग से राज्य के मनोहारी परिदृश्यों को और अधिक विकसित करने पर कार्य कर रही है। राज्य के सात जिलों में कार्यान्वित जायका द्वारा वित्त पोषित वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाने में सहायक रही हैं। उन्नत तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए पिछले दो

वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित पौधरोपण किया गया है। इसके अलावा परियोजना नर्सरी विकसित करने और रोपण स्टॉक की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल देती है, जिसका लक्ष्य सामुदायिक और वानिकी के उपयोग के लिए विभिन्न लाभकारी प्रजातियों के 60 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना है।

460 ग्राम वन विकास समितियां स्थापित

संयुक्त वन प्रबंधन पहल को मजबूत करते हुए और सामूहिक प्रयास का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सात जिलों में 460 ग्राम वन विकास समितियां और 900 से अधिक स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना वनों पर निर्भर समुदायों और फील्ड स्टाफ के कौशल संवर्धन और क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता देती है। आजीविका गतिविधियों और वन पुनर्जनन में प्रतिष्ठित 15000 से अधिक व्यक्तियों के साथ यह परियोजना जलवायु परिवर्तन और संबंधित आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करती है।

1991 से वानिकी पर कार्य कर रहा जाइका

जाइका वर्ष 1991 से भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं पर कार्य रहा है। जाइका ने प्रदेश में ग्रीन आवरण को बढ़ाकर और वन क्षेत्रों को संरक्षित करके सतत विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। जाइका परियोजना राज्य में जापान की सर्वोत्तम वानिकी प्रणाली को लागू करने, वन विभागों के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को पेश करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

प्रदेश में बढ़ाया जा रहा हरित आवरण: सीएम कहा-पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं वन



शिमला, (आपका फैसला)। मुख्यमंत्री नरकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जायका के सहयोग से हरित आवरण बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वनों से आच्छादित देवभूमि हिमाचल के पहाड़ जहाँ एक ओर प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य को

2 साल में 4600 हेक्टेयर भूमि पर रोपे पौधे

सीएम ने कहा कि राज्य के सात जिलों में कार्यान्वित जायका द्वारा वित्त पोषित वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाने में सहायक रही हैं। उन्नत तकनीकों और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए पिछले दो वर्षों में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित वृक्षारोपण किया गया है। इसके अलावा परियोजना नर्सरी विकसित करने और रोपण स्टॉक की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल देती है, जिसका लक्ष्य 60 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करना है।

निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। राज्य के इसी नैसर्गिक सौंदर्य को संजोए रखने और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। सीएम ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हरित आवरण को

वर्ष 2023 तक 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जायका) के सहयोग से राज्य के मनोहारी परिदृश्यों को और अधिक विकसित करने पर कार्य कर रही है।

वन विभाग ने रोपने के लिए मैड नर्सरी में तैयार किए हैं पौधे, तैयारियां जोरों पर

अग्घार वन में जल्द रोप जाएंगे 55 हजार पौधे

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ मोरंज।

वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण और वनों को हरा भरा बनाने के लिए बरसात में पौधों की रोपाईं के लिए योजना तैयार कर ली है। बताते चलें कि पौधरोपण से पहले वन विभाग के अधिकारी नर्सरी में लगे पौधों की निरंतर देखभाल कर रहे हैं और अब जल्द ही विकासखंड भोरंज के अंतर्गत पड़ते अग्घार वन परिक्षेत्र के बीच में 45 से 50 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय व अन्य पौधे लगाने की योजना है। अग्घार वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मैड (झिनकरी) में वन विभाग की नर्सरी है। इस नर्सरी में वन विभाग के कर्मचारी पिछले 3

साल से स्वयं पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। बताते चलें कि वन विभाग नर्सरी में औषधीय पौधे हरड़, बहेड़ा, आंवला, जामुन, कचनोर, खैर, शीशम, बैबू व अन्य प्रजाति के करीब 55 पौधे तैयार किए गए हैं जबकि पिछले वर्ष 2022 में 45 हजार पौधे तैयार किए गए थे। इस बार अग्घार वन परिक्षेत्र के अधीन ब्लॉक तीन भरेड़ी अग्घार व झियालड़ी को 15 बीटों को बांटा गया है।

विभाग ने अभी तक 45 से 50 हेक्टेयर बंजर भूमि पर इस बार पौधरोपण करने की योजना है लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों से लक्ष्य आना बाकी है। पौधरोपण जुलाई में शुरू होने



मैड नर्सरी में तैयार पौधे।

वाला है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग लिया जाएगा। वहीं, अग्घार वन परिक्षेत्र के रेंजर अंकुश ठाकुर ने बताया कि वन विभाग की

मैड नर्सरी में इस बार विभिन्न प्रजातियों के करीब 55 हजार पौधे तैयार हो चुके हैं। इनमें से तीन साल के पौधे ही रोपे जाएंगे जिनकी संख्या 31 हजार के

■ इस बार 50 हेक्टेयर बंजर भूमि में किया जाएगा पौधरोपण

विभिन्न प्रजातियों के हैं पौधे

रेंजर अंकुश ठाकुर ने बताया कि वन विभाग की मैड नर्सरी में इस बार विभिन्न प्रजातियों के करीब 55 हजार पौधे तैयार हो चुके हैं। इनमें से तीन साल के पौधे ही रोपे जाएंगे, जिनकी संख्या 31 हजार के आसपास है। जैसे ही बरसात जोर पकड़ लेगी, वैसे ही पौधरोपण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

आसपास है। जैसे ही इस मानसून में बरसात जोर पकड़ लेगी तथा उच्चाधिकारियों के निर्देश आएंगे तो पौधरोपण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अवैध डंपिंग से चमियाना में देवदार के पेड़ क्षतिग्रस्त जंगलों में फेंका जा रहा फोरलेन का मलबा



शिमला से सटी चमियाना पंचायत के जंगल में फेंके मलबे से क्षतिग्रस्त हुए देवदार के पेड़। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

मंत्री अनिरुद्ध ने वन विभाग को दिए कार्रवाई के आदेश

शिमला। शहर से सटी पंचायत चमियाना के जंगल में हो रही अवैध डंपिंग से लोगों में रोष है। इससे देवदारों के पेड़ भी बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर ढली पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज करवाई है। स्थानीय निवासी अमित ठाकुर, मुकेश और सोहन सिंह ने बताया कि चमियाना क्षेत्र में फोरलेन का कार्य चला है।

आरोप है कि कंपनी अधिकृत की हुई जमीन से बाहर जंगलों में अवैध डंपिंग कर रही है, चारिश के पानी में पत्थर और मलबा सड़कों तथा स्थानीय लोगों के खेतों में घुस रहा है। रास्तों में बड़े-बड़े पत्थर पड़े हैं। इससे स्कूली बच्चों को

आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार चोटिल होने का भी खतरा बना है। कुलदीप वर्मा, महेंद्र और सुरेंद्र ने बताया कि इस बाबत कंपनी को भी अवगत करवाया गया था लेकिन समस्या ज्यों कि त्यों है।

डंपिंग के चलते जंगल में कई हरे पेड़ को नुकसान पहुंचा है। इसमें देवदार और अन्य प्रजाति के पेड़ शामिल हैं। वहीं लोगों ने इस बारे में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को भी शिकायत की है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बारे में अनिरुद्ध सिंह ने वन विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।



भालू के हमले में भेड़पालक घायल

धुनाग (मंडी)। सराज विधानसभा क्षेत्र के जंगल में भेड़-बकरियां चराने गए भेड़पालक पर भालू ने हमला कर दिया। घटना सराज की वुंगजहलगाड़ पंचायत के समलवास गांव के जंगल की है। हालांकि भेड़पालक बुद्धि सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी गांव समलवास ने भालू का डटकर मुकाबला किया, जिससे वह जान बचावे में सफल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोग उसे घायलवस्था में भालीचौकी अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे शैथीय अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया है। वुंगजहलगाड़ पंचायत की प्रधान हंसा चौहान ने कहा कि भालू के हमले से बुद्धि सिंह घायल हुआ है, जिसका मंडी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि भालू को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना पेश न आए। संवाद

जंगलों में फेंका जा रहा फोरलेन निर्माण से निकला मलबा

जागरण संवाददाता, शिमला : कैथलीघाट-ढली फोरलेन निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब नया विवाद पैदा हो गया है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में जुटी कंपनी ने खोदाई से निकले मलबे को जंगलों में ही फेंक दिया है। बरसात के दिनों में ये मिट्टी बहकर लोगों की भूमि में पहुंच गई है। यही नहीं जंगलों में मिट्टी से हरे पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

लोगों का आरोप है कि कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है। इसकी शिकायत वन विभाग और जिला प्रशासन को भी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का तर्क है कि वे विकास के काम में बाधा नहीं बनना चाहते इसलिए अभी तक इसका खुलकर विरोध नहीं किया गया है। यदि प्रशासन इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो वे आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी की जाएगी।

कालका-शिमला फोरलेन के तीसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह फोरलेन कैथलीघाट से ढली तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसका काम पहले शुरू ही नहीं हुआ। अब

- पेड़ों को खतरा, कई लोगों के खेतों में पहुंचा मलबा
- लोग बोले, विकास के विरोधी नहीं पर प्रशासन उनकी जमीन बचाए



चमियाना के जंगलों में मिट्टी से हरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है • जागरण

जब काम शुरू हुआ है तो डंपिंग को लेकर विवाद हो गया है। हालांकि नियमों के तहत अब किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही मलबा कहां फेंका जाए, इसको लेकर पूरी जानकारी भी मुहैया करवानी होती है। इसकी अनुमति आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की सकती है।

हिमाचल दस्तक

13 JUN 2023

जाईका के सहयोग से हरित आवरण 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य

राज्य व्यूरो, शिमला : प्रदेश में हरित आवरण को इस वर्ष 28 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। जापान इंटरनेशनल कांपरिशन एजेंसी (जाईका) के सहयोग से राज्य के हरित आवरण को बढ़ाया जा रहा है।

सात जिलों में जाईका के तहत दो साल में 4600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर नियोजित पौधारोपण किया गया है। नर्सरी विकसित करने व रोपण स्टॉक की गुणवत्ता को भी बढ़ाया है। विभिन्न प्रजातियों के 60 लाख से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जाईका के तहत सात जिलों में 460 ग्राम वन विकास समितियां और 900 से अधिक स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं। जाईका 1991 से भारत में वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। हिमाचल को हरित राज्य बनाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है।

भेड़-बकरियां चराने जंगल गया युवक भालू के हमले से घायल, मंडी अस्पताल में उपचाराधीन

मंडी, (आपका फैसला)। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालीचौकी में भेड़-बकरियां चराने जंगल गया युवक भालू के हमले से घायल हो गया। घायल युवक क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। मिली जानकारी के अनुसार सराज के बालीचौकी में भालू ने युवक पर उस समय हमला कर लहलुहान कर दिया, जब वह भेड़-बकरियां चराने जंगल में गया हुआ था। भालू के हमले से युवक बुद्धि सिंह बुरी तरह से घायल हुआ है। भालू के हमले से युवक के सिर, बाजू व पीठ में गहरी चोटें आई हैं। फिलहाल युवक क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। उपमंडल बालीचौकी के तहत पडने वाले गांव संबलवासे का 30 वर्षीय युवक बुद्धि सिंह बीते रोज अपनी भेड़-बकरियां चराने घर के पास वाले जंगल में गया हुआ था। इस दौरान झाड़ियों में घात लगाकर बैठे भालू ने बुद्धि सिंह पर अचानक हमला कर दिया। भालू के इस हमले से बुद्धि सिंह को संभलने का मौका ही नहीं मिला, इतने में भालू ने उसे लहलुहान कर दिया। बाद में बुद्धि सिंह के चिल्लाने पर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े। वहीं ग्रामीणों के आने का शोर सुनकर भालू जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल बुद्धि सिंह को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालीचौकी पहुंचाया। भालू के हमले से बुद्धि सिंह के सिर, बाजू व पीठ पर गहरी चोटें आई थी, जिसके बाद बालीचौकी के चिकित्सकों ने उसे जौनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया। बुद्धि सिंह के भाई तेज राम ने बताया कि उसका भाई फिलहाल जौनल अस्पताल मंडी में ही उपचाराधीन है और उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं इस बारे में डीएफओ गोहर एसएस कश्यप ने बताया कि वन विभाग के पास भालू के हमले की शिकायत प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि प्रभावित को नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।

Unauthorised liquor vend removed from forest land

TRIBUNE NEWS SERVICE

SOLAN, JUNE 29

A liquor vend sanctioned on a forest land diverted to the State Taxes and Excise Department (STED) for a check-post in Tipra, Parwanoo, on the Haryana and Himachal border has been removed by the Forest Department.

"The forest land was diverted to the STED in 2012 under the Forest Conservation Act (FCA). However, no check-post came up on the land and it was sanctioned for a temporary liquor vend by the STED. Since the change of end-use is not permissible without due process under the FCA, the Forest Department took up the matter with the officials of the STED, said Solan Divisional Forest Officer (DFO) Kunal Angrish.

He added that the STED officials have confirmed that the vend was sanctioned erroneously, and



The site on forest land near Tipra from where a liquor vend was removed by the Forest Department. TRIBUNE PHOTO

that it was withdrawn. The vend was removed by the vendor in the presence of forest officials from Parwanoo range. Range Officer Parwanu Banarasi ensured that the process was smooth as such

instances, at times, lead to undue problems.

The DFO stated that the Solan forest division has been trying to bring more clarity on diversion channels under the FCA and the Forest Rights Act.

To give fillip to eco-tourism, Himachal readies masterplan, identifies 400 sites

PRATIBHA CHAUHAN
TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, JUNE 29

To give a major fillip to eco-tourism, the Forest Department has prepared a master plan identifying 400 sites that will be run through eco-societies across the state.

It is after an exhaustive exercise that the Eco Tourism Masterplan has been readied. In Phase I, the department

93 LOCATIONS IN PHASE I

The Forest Department has zeroed down on 93 sites that will be developed as the main sites for adventure eco-tourism activities

has zeroed in on 93 sites that will be developed and promoted as the main sites for adventure eco-tourism activities.

With there being a major shift towards adventure tourism and preference for off-beat locations, especially post Covid, the state government is looking at the eco-tourism sector as a major revenue-generating arena.

Besides, it will also help create much-needed employment avenues. Some similar ventures, especially tented

CONTINUED ON PAGE 9



वन संपदा को बचाने के लिए प्रदेश सरकार अपनाए जीरो टॉलरेंस नीति

हिमाचल दस्तक ■ गगरेट

■ जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम से उताई मांग

जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित राम लुभाया ने मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश में नशा माफिया से जुड़े लोगों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किए जाने की अनुमति मांगी है।

साथ ही पंडित राम लुभाया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के जितने भी संवेदनशील विभाग हैं, उनके उच्चाधिकारियों द्वारा अर्जित की गई या की जा रही संपत्ति पर भी पैनी नजर रखी जाए और जांच की जाए। पंडित राम लुभाया ने कहा कि वह गगरेट के निवासी हैं और पिछले कई दिनों से प्रदेश की

बेशकीमती लकड़ी से लदे हुए दर्जनों ट्रकों को पड़ोसी राज्य पंजाब की ओर जाते हुए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गगरेट में सरकारी तंत्र कुछ भी नहीं कर रहा है। पुलिस व वन विभाग ने पिछले दिनों पंजाब की ओर जाते हुए अवैध लकड़ी के कुछ एक ट्रकों को पकड़ा है, लेकिन यह पकड़ तो मात्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश की बेशकीमती वन संपदा को वन माफिया से बचाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और जितने भी प्रदेश के बॉर्डर से जुड़े जिले हैं उन जिलों में इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएं।

वन भूमि पर अवैध रूप से बनाया शराब का ठेका हटवाया

संगद सूत्र, परवाणू : परवाणू के समीप टिपरा में कालका-शिमला हाईवे के किनारे वन भूमि पर वने शराब के अवैध ठेके को वन विभाग ने हटा दिया। हरियाणा व हिमाचल की सीमा पर स्थित यह वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवकारी व कराधान विभाग को चेक पोस्ट बनाने के लिए वर्ष 2012 में परिवर्तित की गई थी। कराधान विभाग द्वारा इस भूमि का कुछ हिस्सा शराब का ठेका चलाने के लिए आवंटित कर दिया गया था। चूंकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत परिवर्तित वन भूमि का इस्तेमाल परिवर्तन केस में इंगित किए गए निर्दिष्ट कारणों के लिए ही किया जा सकता है। वन विभाग द्वारा ठेके के आवंटन पर आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके पश्चात कराधान विभाग द्वारा आवंटन



इस जमीन से हटाया गया ठेका • जागरण

को रद्द किया गया व ठेका संचालकों को हटाने के निर्देश दिए गए। वन परिक्षेत्र अधिकारी परवाणू बनारसी दास के नेतृत्व व वन विभागीय टीम की देखरेख में ठेका हटाया गया। वन मंडल अधिकारी सोलन कुणाल अंग्रिश ने बताया कि वन विभाग की भूमि पर बनाए ठेके को हटा दिया है।

बालीचौकी जंगल में भालू के हमले से युवक घायल

भास्कर न्यूज़ | मंडी

सरज के बालीचौकी जंगल में भेड़-बकरियां चराने गए युवक पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया है। घायल युवक क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। बालीचौकी के गांव संबलवासे का 30 वर्षीय युवक बुद्धि सिंह अपनी भेड़-बकरियां चराने घर के पास वाले जंगल में गया हुआ था। इस दौरान झाड़ियों में घात लगाकर बैठे भालू ने बुद्धि सिंह पर अचानक हमला कर दिया।

भालू के इस हमले से बुद्धि सिंह को संभलने का मौका ही नहीं मिला, इतने में भालू ने उसे लहलुहान कर दिया। बाद में बुद्धि सिंह के चिल्लाने पर ग्रामीण उसकी

मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों के आने का शोर सुनकर भालू जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने घायल बुद्धि सिंह को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालीचौकी पहुंचाया। भालू के हमले से बुद्धि सिंह के सिर, बाजू व पीठ पर गहरी चोटें आई थी, जिसके बाद बालीचौकी के चिकित्सकों ने उसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया। बुद्धि सिंह के भाई तेज राम ने बताया कि उसका भाई जोनल अस्पताल मंडी में ही उपचाराधीन है और उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। डीएफओ गोहर एसएस कश्यप ने बताया कि वन विभाग के पास भालू के हमले की शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित को नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।

भेड़ें चराने जंगल गए युवक पर भालू ने किया हमला

गोहर (मंडी), 29 जून (खालीराम): सरज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में भेड़ें चराने जंगल गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौका

कर स्थिति का जायजा ले लिया तथा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत बुंग जहलगाड़ के पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह राणा ने बताया कि युवक बुद्धि सिंह पुत्र फते सिंह गांव भेटे (रांगचा) तहसील बालीचौकी प्रतिदिन को भॉति अपनी भेड़ें जंगल को चराने ले जाते थे। वीते दिनु रांगचा के जंगल गए तो माहूदूग नामक स्थान पर दोपहर बाद घात लगाए बैठे भालू ने युवक पर हमला कर दिया जिससे वह भारी जख्मी हो गया। भालू ने पीड़ित के सिर और मुंह पर चार किया। वावजूद युवक ने होंसलां रखा और जोर-जोर से शोर मचाया। जिसे सुनकर कर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देखते ही भालू जंगल की ओर भाग गया है। जहां से घायल युवक बुद्धि सिंह को उपचार के लिए बालीचौकी अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने भालू के हमले से जख्मी युवक क्षेत्रीय अस्पताल मंडी रेफर कर दिया है। डी.एफ.ओ. नाचन सुरेश कश्यप ने घटना की पुष्टि की है।



गोहर : जंगल में भालू के हमले के बाद लहलुहान युवक बुद्धि सिंह।

हिमाचल दस्तक 30 JUN 2023

भेड़-बकरियां चराने गए युवक पर भालू ने किया हमला

हिमाचल दस्तक | बालीचौकी/मंडी

बालीचौकी में भालू ने भेड़-बकरियां चराने गए एक युवक पर अचानक हमला कर उसे लहलुहान कर दिया। युवक को जोनल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उसकी हालत डॉक्टरों ने अब खतरे से बाहर बताई है। उसके सिर और बाजू पर गहरी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार उपमंडल बालीचौकी के तहत पड़ने वाले गांव संबलवासे का 30 वर्षीय युवक बुद्धि सिंह अपनी भेड़-बकरियां चराने घर के पास वाले जंगल में गया हुआ था। अचानक इस दौरान झाड़ियों में घात लगाकर छिपे भालू ने बुद्धि सिंह पर हमला कर दिया। भालू के हमले से बुद्धि सिंह ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की लेकिन वह गंभीर घायल हो गया। बुद्धि सिंह के चिल्लाने पर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों को आता देख भालू जंगल

गंभीर रूप से घायल जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन

की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल बुद्धि सिंह को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालीचौकी पहुंचाया। भालू के हमले से बुद्धि सिंह के सिर, बाजू व पीठ पर गहरी चोटें आई, जिसके बाद बालीचौकी के चिकित्सकों ने उसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया। बुद्धि सिंह के भाई तेज राम ने बताया कि उसका भाई जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। डीएफओ गोहर एसएस कश्यप ने बताया कि भालू के हमले की शिकायत प्राप्त हुई। प्रभावित को नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। उधर एमओएच डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि घायल की हालत में सुधार हो रहा है। किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल प्रबंधन इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए है।

2238
14

To enhance green cover, Himachal joins hands with Japan firm

Shimla: Himachal Pradesh has entered into a collaboration with the Japan International Cooperation Agency (JICA) to increase the green cover in the hill state from approximately 28 per cent to over 30 per cent by 2030.

Implemented across seven districts, the JICA-funded Forestry and Natural Resource Management Projects have been instrumental in enhancing the greenery. Utilizing advanced techniques and technological interventions, over the past two years, carefully planned plantations have adorned more than 4,600 hectares of land.

The establishment of 460 Village Forest Development Societies (VFDS) and over 900 Self-Help Groups (SHGs) in the seven chosen districts showcase a remarkable collective effort in strengthening joint forest management initiatives. The project also prioritizes the skill enhancement and capacity building of forest-dependent communities and field staff.

ENS

Panel formed to look into illegal tree felling charges

SHIMLA, JUNE 29

The HP High Court yesterday constituted a committee comprising the Deputy Commissioner and the Superintendent of Police of Mandi and the Secretary, District Legal Services Authority, Mandi, to look into the allegations of illegal felling of trees in Nachan forest division.

A Division Bench comprising Chief Justice MS Ramachandra Rao and Justice Ajay Mohan Goel passed the order on the basis of a letter addressed to the Chief Justice by Raju, a resident of Chail Chowk in Mandi district, taking it suo moto as a public interest litigation.

Raju alleged in his letter that at the behest of the DFO, Nachan, thousands of green trees had been cut. He said that roads had been constructed illegally by cutting trees in dense forests. The forest had been destroyed in an about 10 km radius of the Shikari Devi-Dehar road in the sanctuary region.

He alleged that at the behest of the DFO, a ground had been carved out at the Chail Chowk, at a distance of about 100 metres from the rest house by cutting 500 green trees. He prayed for action against the DFO to stop devastation of forests and save the environment and government money.

Meanwhile, the state authorities in their reply filed at the court refuted the allegations levelled in the letter taken up as a PIL. The court constituted a committee to verify the claims made in the reply and directed it to file its reply within three months. It listed the matter for further hearing on October 10. — OC

HC FORMS PANEL TO PROBE 'ILLEGAL FELLING' IN MANDI'S NACHAN

SHIMLA: The High Court of Himachal Pradesh has constituted a committee comprising of the deputy commissioner, superintendent of police, and the secretary, District Legal Services Authority, Mandi, to probe into the allegations of illegal felling of trees in Nachan forest division of the district. The Division Bench comprising the chief justice, MS Ramachandra Rao, and justice Ajay Mohan Goel passed the order on a petition taken up suo motu by the court as public interest litigation, on a letter addressed to the chief justice, by Raju, a resident of Chail Chowk.

The petitioner has alleged that at the behest of the DFO, Nachan, who is posted as such, for more than five years, thousands of green trees have been felled in the forest division, Nachan. The petitioner has further alleged that roads have been constructed illegally by cutting trees from extremely dense forest without clearance under the Forest Conservation Act. The forest area has been destroyed despite having a sanctuary region of about 10 km radius of Shikari Devi-Dehar Road. It has been alleged that on the behest of DFO, a ground has been constructed at Chail Chowk, at a distance of about 100 meters from Rest House by destroying about 500 green trees. The petitioner has prayed to take action against the DFO. The respondents have disputed the allegations levelled by the petitioner in the reply filed by them. Therefore, the court has directed the committee to verify whether the claims made in the reply filed by the respondents are true or not. The committee has been further directed to file its report within three months. The matter is listed for the next hearing on October 10.

Hrc

मंडी में अवैध कटान की जांच करेगी कमेटी

हाई कोर्ट ने किया गठन, सचिव-उपायुक्त-एसपी को सौंपी जिम्मेदारी



विधि संवाददाता-शिमला

प्रदेश हाई कोर्ट ने नाचन जिला मंडी में हुए पेड़ों के अवैध कटान की जांच के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव सहित डीसी और एसपी मंडी की एक कमेटी गठित की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह

आदेश पारित किए। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि पांच साल से अधिक समय से यहां तैनात डीएफओ नाचन के इशारे पर वन मंडल नाचन के कई वन क्षेत्रों में हजारों हरे पेड़ काटे गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी के बिना अत्यधिक घने जंगल से पेड़ों को काटकर अवैध रूप से सड़कों का निर्माण किया है। शिकारी देवी-देहर रोड के लगभग दस किलोमीटर के दायरे में सेंचुरी एरिया होने के बावजूद वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। डीएफओ के इशारे पर रेस्ट हाउस से लगभग 100 मीटर की दूरी पर चैल चौक पर लगभग 500 हरे पेड़ों को नष्ट कर एक मैदान का निर्माण किया है। प्रार्थी ने

बिना परमिशन दरख्त काटने के मामले में दस अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट

वन और पर्यावरण विनाश व सरकारी सम्पदा को नष्ट होने से न बचाने के लिए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब में लगाए आरोपों का खंडन किया है। न्यायालय ने कमेटी को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब में किए दावे सही हैं या नहीं। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर सुनवाई दस अक्टूबर को होगी।

पंजाब केसरी

9 JUN 2023

वन विभाग में 8 आई.एफ.एस. अधिकारियों के तबादले

शिमला, 28 जून (भूपिन्द्र) : प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 8 आई.एफ.एस. अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ए.पी.सी.सी.एफ. एम. एंड ई. संजय सूद को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम का कार्यकारी निदेशक लगाया है। वह ए.पी.सी.सी.एफ. एम. एंड ई. का अतिरिक्त दायित्व देखते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कार्यकारी निदेशक आर. लानूनसंगा को ए.पी.सी.सी.एफ. वित्त एवं वन प्रबंधन शिमला लगाया है। ए.पी.सी.सी.एफ. वाइल्ड लाइफ उत्तर उपासना पटियाल को सी.पी.डी. धर्मशाला लगाया है, साथ ही उन्हें उत्तरी क्षेत्र की कार्य योजना का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है। सी.सी.एफ. धर्मशाला देव राज कौशल को सी.सी.एफ. (आई.टी.) शिमला, सी.सी.एफ. वाइल्ड लाइफ शिमला के थिरुमल को सी.सी.एफ. शिमला, सी.पी.डी. धर्मशाला ई. विक्रम को सी.सी.एफ. धर्मशाला तथा सी.एफ. (आई.टी.) अभिलाष दामोदरन को सी.सी.एफ. चम्बा लगाया गया है। इसके अलावा सी.एफ. शिमला वी.के. बाबू को सी.एफ. नाहन लगाया गया है। वह सी.एफ. सोलन का अतिरिक्त दायित्व भी देखेंगे।

सहायक अरण्यपाल के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश वन सेवा के सहायक अरण्यपाल (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में संशोधन किया है। इन पदों के लिए नई भर्ती-अब संशोधित नियमों के अनुसार की जाएगी।

दिव्य हिमाचल

9 JUN 2023

खतरनाक पेड़ों को किया जा रहा चिन्हित

जिला प्रशासन ने वन विभाग को शहर के खतरनाक पेड़ों को चिन्हित करने का आदेश जारी किए थे। ऐसे में इन दिनों खतरनाक पेड़ों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं, अब एमसी के हाउस में सभी खतरनाक पेड़ों की सूची भी सौंपी जाती है और उसके बाद वित्त कमेटी इसका आकलन करके इन्हें काटने की मंजूरी देगी।

मानसून में हो रही बारिश के बीच भी निगम का सफाई अभियान सुचारू है। शहर के हर नालों और सड़कों के किनारे बनी नालियों को खोला जा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण कई नाले ब्लॉक हो गए थे, उन्हें भी खोल दिया गया है। यह महासफाई अभियान लगातार चलता रहेगा

Tree felling in Nachan: HC committee to verify claims of respondents

TIMES NEWS NETWORK

Shimla: The Himachal Pradesh high court has constituted a committee to look into allegations of illegal felling in Nachan forest division of Mandi district and to verify the authenticity of claims made in public interest litigation (PIL). The committee, comprising deputy commissioner, superintendent of police and District Legal Services Authority secretary, all from Mandi, has been given three months to file its report.

HC division bench comprising Chief Justice M S Ramachandra Rao and Justice Ajay Mohan Goel passed these orders on a petition taken up suo moto as PIL. A resident of Chail Chowk village in Mandi district, Raju, had written a letter to the HP Chief Justice. He alleged illegal felling of forest trees involving the divisional forest officer, Nachan, in Shikari Kamroo Nag, Devi Dehar-Shikari, Saroph to Kamroo Nag and roads being laid illegally in extremely dense forest areas without obtaining clearance under the Forest Conservation Act.

He also stated that at the behest of the DFO, Nachan, who has held this office for

The committee, comprising deputy commissioner, superintendent of police and District Legal Services Authority secretary, all from Mandi, has been given three months to file its report

more than five years, thousands of green trees have been cut in many forest areas of Nachan forest division. The letter also claimed that the forest area has been destroyed despite having a sanctuary region of about 10 kms radius on Shikari Devi-Dehar Road and 500 green trees being axed for a ground at Chail Chowk. The petitioner sought action against the DFO to save forest, environment and government money.

As the respondents have disputed the allegations levelled by the petitioner in their reply, the court has directed the committee to verify as to whether the respondents' claims are true or not.

The matter has been listed on October 10 for further hearing.